**मूल वाद में अन्तिम डिक्री**

# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

**पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS**

प्रकरण सं. 499/2018 वाद

श्रीमती चित्रलेखा पत्नी महेन्द्र शर्मा, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– वादीया

//बनाम//

1. विजय सिंह उर्फ वजे सिंह पिता अमरा, जाति बंजारा, आयु वयस्क, निवासी धीनवा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. बादर सिंह पिता अमरा, जाति बंजारा, आयु वयस्क, निवासी धीनवा, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. बिहारी पिता अमरा, जाति बंजारा, आयु वयस्क, निवासी धीनवा, तहसील निम्बाहेड़ा मृतक के बजाय–

3/1– भुवानी शंकर पिता बिहारी बंजारा, आयु वयस्क, निवासी धीनवा।
3/2– श्रीमती कमला बेवा बिहारी बंजारा, आयु वयस्क, निवासी धीनवा।
3/3– लोकेश पिता दिलीप बंजारा, आयु वयस्क, निवासी धीनवा।
3/4– सावरा पिता दिलीप बंजारा, आयु वयस्क, निवासी धीनवा।
3/5– पुष्पा बेवा दिलीप बंजारा, आयु वयस्क, निवासी धीनवा, तहसील निम्बाहेड़ा।

4. शिवा पिता अमरा, जाति बंजारा, आयु वयस्क, निवासी धीनवा, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. श्रीमती मुन्ना बाई पुत्री अमरा, जाति बंजारा, आयु वयस्क, निवासी धीनवा, तहसील निम्बाहेड़ा।
6. श्रीमती सीता बाई पुत्री अमरा, जाति बंजारा, आयु वयस्क, निवासी धीनवा, तहसील निम्बाहेड़ा।
7. श्रीमती स्वरूपी बाई बेवा अमरा, जाति बंजारा, आयु वयस्क, निवासी धीनवा, तहसील निम्बाहेडा। (नाम विलोपित)।
8. एस.बी.बी.जे. (हाल एस.बी. आई.) ब्रांच निम्बाहेड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक, निम्बाहेड़ा।
9. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

**दावा**

**अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा0का0अधि0**

**प्रकरण में आज दिनांक को वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सरफराज अहमद की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस के लिए प्रस्तुत होने पर आदेश**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिया जाता है कि वाद वादीया सशर्त कतई डिक्री किया जाता है। मौजा जावदा की खाता संख्या 300 की आराजी नं. 1908 रकबा 0.8100 हैक्टेयर भूमि वादीया चित्रलेखा पत्नी महेन्द्र शर्मा निवासी निम्बाहेड़ा की खातेदारी की घोषित की जाती है। उक्त खाते में से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम विलोपित किये जावें। इसी प्रकार मौजा धीनवा की खाता संख्या 81 की आराजी नं. 254 रकबा 1.0400 हैक्टेयर भूमि में वादीया का दर्ज 28/30 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज किया जावे। वादीया का नाम धीनवा की उक्त आराजीयात से विलोपित किया जावे। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि पूर्व में बिहारी बंजारा द्वारा वादीया के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र एवं वर्तमान एक्सचेंज की तुलना करते हुए किसी प्रकार की राजस्व हानि होने की स्थिति में वादीया से उक्त राशि राजकोष में जमा करवा रसीद प्राप्त करें, उसके उपरान्त ही नामान्तरकरण वादीया के नाम निर्णित किया जावे। किसी प्रकार की राजस्व हानि नहीं होने की स्थिति में इस आशय की टिप्पणी नामान्तरकरण पर अंकित करते हुए नामान्तरकरण दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया की खातेदारी आराजीयात में किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत न तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 03.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.03 21:43:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: